

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय

कार्यालय धनबाद

सूचना/विज्ञापन 03/2024, दिनांक 06.09.2024

131 पारा लिगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक स्थानीय अभ्यर्थियों से निम्नांकित फॉर्म में स्व-हस्तलिखित/टंकित प्रारूप में आवेदन दें। प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विधि पेशेवर की तरह कार्य करें तथा अधिवक्ता पारा लिगल वोलेंटियर्स के लिये योग्य नहीं है।

योग्यता:-

1. अभ्यर्थी साक्षर हो परंतु जैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मैट्रिक तथा उससे उच्चतर योग्यता रखते हों तथा उनमें समझने एवं समझाने की क्षमता हो। शिक्षक/सेवा निवृत्त शिक्षक/सेवा निवृत्त लोकसेवक/वरीष्ठ नागरिक/एम0एस0डब्ल्यू0 छात्र/आंगनबाड़ी सेविका/चिकित्सक/विधि छात्र जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। गैर-राजनीतिक संगठन/एन0जी0ओ0/क्लब/मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के सदस्य/महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य/सजायाफ्ता कैदी जिनका आचरण अच्छा हो/कोई भी व्यक्ति जिन्हें DLSA पारा लिगल वोलेंटियर के पद पर सुयोग्य पाए, पारा लिगल वोलेंटियर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. जैसे अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो पारा लिगल वोलेंटियर के कार्य को आर्थिक आय का स्रोत नहीं समझेंगे।

आवेदन कैसे करें।

1. आवेदन डाक या हाथों-हाथ दोनों माध्यम से स्वीकार की जाएगी तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पारा लिगल वोलेंटियर के लिए आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए।
2. आवेदन स्व-हस्तलिखित या टंकित प्रारूप में ही स्वीकार किये जाएंगे।
3. अपना दो अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के साथ समर्पित करें।
4. आवेदन निम्न पते पर भेजें:-
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय धनबाद। पिन:- 826001

आवेदन की अंतिम तिथि:- 13.09.2024

आवेदन का प्रारूप

1. नाम:-
2. पिता/पति का नाम:-.....
3. उम्र (विज्ञापन की तिथि के दिन)
4. लिंग:-
5. राष्ट्रियता:-.....
6. स्थायी पता:-
7. पत्राचार का पता (दूरभाष सं0 के साथ)
8. ई-मेल:-
9. शैक्षणिक योग्यता:-
- (शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।)
10. विशेष योग्यता:-.....
11. कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/सामान्य):-.....

यहाँ पर अपना
अद्यतन पासपोर्ट
साईज फोटो
चिपकाएँ।

नोट:- उपरोक्त आवेदन पारा लिगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण के लिए है न कि नियोजन के लिए। पी0एल0वी0 के कार्य के लिए कोई वेतन, पारश्रमिक या मजदूरी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निर्धारित मानदेय के अलावा देय नहीं होगा।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान

आदेशानुसार

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद।